बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 161865 पटना, दिनांक 04/09/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(वि0अभि0)-102-14/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास के लाभुकों द्वारा बैंक से सहायता राशि की निकासी के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 155686 दिनांक 15.07.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रखण्ड स्तरीय शिविर आयोजन करने के निमित इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन, आवासों की स्वीकृति एवं पासबुक वितरण हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए कालबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था । लाभुकों को बैंक से सहायता राशि की निकासी करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो इसके लिए उक्त पत्र की कंडिका-7 (क) की उप कंडिका (V) में बैंकवार एवं पंचायतवार रोस्टर निर्धारित कर जिला स्तरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में राशि की निकासी कराने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था ।

इस संबंध में इस प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए कि एक बार राशि का हस्तांतरण लाभुक के खाते में कर दिये जाने के पश्चात उस राशि पर लाभुकों का अधिकार हो जाता है तथा राशि की निकासी को किसी अन्य व्यवस्था से नियंत्रित किया जाना विधि सम्मत नही है, अतएव सम्यक विचारोपरांत प्रासंगिक पत्र की कंडिका-7 (क) की उप कंडिका (V) की व्यवस्था को विलोपित किया जाता है । लाभुक के द्वारा राशि की निकासी स्वविवेक से की जायेगी । बैंकों से राशि निकासी हेतु रोस्टर की व्यवस्था अपेक्षित नही है ।

विश्वासभाजन

2.9.13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 161865 पटना, दिनांक 04/09/2013

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2.9.13
सरकार के सचिव

D:\06-0m.k All in One\आवेदन हिन्दी\Application-690.docx